भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. †5
सोमवार, 04 दिसम्बर, 2023/13 अग्रहायण, 1945 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

हिमाचल प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र का पुनरुद्धार

†5. श्री राजीव प्रताप रूडी:
क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय पर्यटन गंतव्यों में से एक है;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश राज्य में लगातार वर्षा और भूस्खलन की बारंबारता में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप राज्य में यात्रा और पर्यटन क्षेत्र के लिए विनाशकारी स्थिति उत्पन्न हो गई है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान होटलों की बुकिंग रद्द होने और पर्यटन पैकेजों को रद्द किए जाने के कारण राजस्व की कितनी हानि हुई है;

(घ) क्या भारी वर्षा और भूस्खलन का पर्यटन क्षेत्र पर कोविड-19 लॉकडाउन की तुलना में अधिक प्रभाव पड़ रहा है; और

(ङ) क्या सरकार की इस मुद्दे से निपटने और हिमाचल प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को सक्रिय बनाए रखने के लिए कोई दीर्घकालिक योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): वर्ष 2018-2022 के दौरान उत्तर-पूर्वी राज्यों की घरेलू पर्यटक यात्राओं (डीटीवी) और विदेशी पर्यटक यात्राओं (एफटीवी) का विवरण अनुबंध में दिया गया है ।

(ग): पर्यटन मंत्रालय पर्यटन से अर्जित राजस्व/राजस्व के नुकसान संबंधी आंकड़े तैयार नहीं करता है ।

(ख), (घ) और (ड.): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) से प्राप्त सूचना के अनुसारः

i. जुलाई 2023 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य को अभूतपूर्व वर्षा का सामना करना पड़ा जो पूरे राज्य में बाढ़ और भूस्खलन का कारण बनी । इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने राज्य की दीर्घकालिक बहाली और पुनर्निर्माण के उद्देश्य से आपदा पश्चात

आवश्यकताओं संबंधी मूल्यांकन (पीडीएनए) में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए दिनांक 25.07.2023 के पत्र के माध्यम से एनडीएमए से अनुरोध किया है ।

ii. एनडीएमए ने इस अनुरोध पर विचार किया है और पीडीएनए में सहायता देने के लिए विभिन्न हितधारकों अर्थात केंद्रीय सरकार, संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को शामिल करते करते हुए दिनांक 05.08.2023 के आदेश के माध्यम से एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है । पर्यटन क्षेत्र सहित 13 चिह्नित क्षेत्रों में क्षति और नुकसान का पता लगाने के लिए इन कार्यों को दो चरणों में आयोजित किया गया था अर्थात प्रथम चरण (07.08.2023-12.08.2023) और दूसरा चरण (16.09.2023 - 19.09.2023) ।

iii. 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 'दस पहाड़ी राज्यों में भूकंपीय और भूस्खलन संबंधी जोखिम के प्रबंधन' हेतु 750 करोड़ रु. आवंटित किए गए ।

iv. एसडीएमएफ के अंतर्गत आपदा शमन संबंधी कार्यकलापों के लिए हिमाचल प्रदेश को 592.4 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 533.4 करोड़ रु. और राज्य की हिस्सेदारी 59 करोड़ रु. है ।

v. वर्तमान में एनडीएमए भूस्खलन जोखिम शमन कार्यक्रम (एलआरएमपी) और भूकंप जोखिम शमन कार्यक्रम (ईआरएमपी) तैयार कर रहा है । यह कार्यक्रम भूकंप और भूस्खलन संबंधी जोखिम, इसकी संवेदनशीलता, निगरानी और पूर्व चेतावनी संबंधी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) के कार्यान्वयन, स्थायीकरण/पुन: संयोजन और इस संबंध में क्षमता वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करेगा। प्रस्तावित कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश को भी शामिल किया गया है ।

vi. एनडीएमए ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों के दो सेट जारी किए हैं:

   a. सांस्कृतिक विरासत स्थलों और प्रांतों के संबंध में दिशानिर्देश; और
   b. संग्रहालयों के संबंध में दिशानिर्देश ।

उक्त दोनों दिशानिर्देश हिमाचल प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हैं ।

*****

अनुबंध

श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा हिमाचल प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र का पुनरुद्धार के संबंध में दिनांक 04.12.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. †5 के भाग (क) के उत्तर में विवरण विवरण

2018-2022 के दौरान घरेलू पर्यटक यात्राओं (डीटीवी) और विदेशी पर्यटक यात्राओं (एफटीवी) का विवरण (आंकड़े लाख में) इस प्रकार हैं:

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2018		2019		2020		2021		2022	
	डीटीवी	एफटीवी	डीटीवी	एफटीवी	डीटीवी	एफटीवी	डीटीवी	एफटीवी	डीटीवी	एफटीवी
हिमाचल प्रदेश	**160.94**	**3.57**	**168.29**	**3.83**	**31.71**	**0.43**	**56.32**	**0.05**	**150.71**	**0.29**
पंजाब	**445.95**	**12.01**	**473.85**	**11.01**	**166.92**	**3.59**	**266.40**	**3.08**	**260.89**	**3.29**
हरियाणा	**48.89**	**0.74**	**45.49**	**0.48**	**21.15**	**0.17**	**20.25**	**0.05**	**21.08**	**0.02**
उत्तर प्रदेश	**2850.80**	**37.81**	**5358.55**	**47.45**	**861.22**	**8.91**	**1097.08**	**0.45**	**3179.14**	**6.49**
जम्मू और कश्मीर	**170.76**	**1.40**	**161.63**	**0.58**	**25.20**	**0.05**	**113.15**	**0.02**	**184.99**	**0.20**
लद्दाख	**0.00**	**0.00**	**2.41**	**0.39**	**0.07**	**0.01**	**3.03**	**0.01**	**5.10**	**0.21**
राजस्थान	**502.36**	**17.54**	**522.20**	**16.06**	**151.17**	**4.46**	**219.89**	**0.35**	**1083.28**	**3.97**
चंडीगढ़	**15.39**	**0.40**	**15.64**	**0.44**	**4.18**	**0.12**	**2.29**	**0.05**	**30.27**	**0.28**
दिल्ली	**291.14**	**27.41**	**364.68**	**29.83**	**95.84**	**6.81**	**106.42**	**1.00**	**271.86**	**8.16**
उत्तराखण्ड	**356.10**	**1.51**	**375.86**	**1.52**	**70.05**	**0.41**	**194.34**	**0.09**	**546.43**	**0.62**

स्रोत: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पर्यटन विभाग

*****